न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 02/2015

RCMS No. 2015/00082

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1 ग्राम पंचायत सोजतरोड़ जरिये कुन्दनसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत सरपंच ग्राम पंचायत सोजतरोड़, वर्तमान सरपंच श्रीमति सोनी रूपा बेन पत्नी नैनाराम जाति सरगरा निवासी सोजतरोड़ तहसील सोजत		1. नन्दूसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति गाच्छा निवासी लड्ढा कॉलोनी, सोजतरोड़

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री ओमप्रकाश पंवार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सोजतरोड़ द्वारा मिसल संख्या 11/2006–2007, संकल्प संख्या 6 दिनांक 05.03.2013 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.03.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर जैर निगरानी पटटा जारी करवाया है, जिसका ज्ञान ग्राम पंचायत को होने के पश्चात हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि स्वयं की होना बताते हुए पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पंचायत द्वारा सद्भाविक रूप से पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया। उसके पश्चात पंचायत को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 199 की है, जो आबादी की न होकर बच्चों के श्मशान के रूप में प्रयुक्त होती है। अप्रार्थी को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि खसरा नम्बर 199 में समाहित होती है। इस सम्बन्ध में विजयसिंह व धन्नाराम द्वारा प्रस्तुत वाद में माननीय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत को खसरा नम्बर 199 की भूमि राजस्व रेकर्ड में बाल श्मशान गृह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का निवेदन किया। इस भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयों द्वारा सिलसिलेवार प्रकरणों में पारित निर्णयों में उक्त भूमि बाल श्मशान की होना माना है। अप्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थी पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जबकि उक्त भूमि पट्टा जारी करते समय आबादी भूमि नहीं थी। इस कारण पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं थी। उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में जारी हो चुका था, जिसकी ताईद अप्रार्थी के कथित स्वत्व विलेख के पृष्ठ संख्या 3 की पंक्ति संख्या 12 व 13 से होती है। चूंकि उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, तो पंचायत दुबारा पट्टा जारी करने हेतु भी अधिकृत नहीं थी। इस कारण भी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि जैर निगरानी पट्टा तथाकथित रूप से खसरा नम्बर 199 में बना है, जो बाल श्मशान गृह की भूमि है प्रार्थी द्वारा इन कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त तथ्य साबित हो सके। प्रार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में सिलसिलेवार विचाराधीन होकर निर्णित हुए प्रकरणों का भी सहारा लिया, किन्तु उक्त किसी भी प्रकरण में न तो अप्रार्थी पक्षकार है तथा न ही ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर आया कि खसरा नम्बर 199 की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा बना हो। उक्त भूमि अप्रार्थी की संयुक्त रूप से खरीदसुदा भूमि है, जो कालान्तर में पारिवारिक विभाजन में अप्रार्थी को प्राप्त हुई है। धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत इस न्यायालय को मात्र यह अधिकार प्राप्त है कि वे पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही/प्रक्रिया की विधिकता, औचित्य का परीक्षण करें। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा किसी भी रूप में यह नहीं बताया गया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया, उसमें किसी प्रकार की त्रुटी रही हो। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी द्वारा विधिवत नियमों के तहत अपनी खरीदसुदा एवं अपने हिस्से में आई भूमि के पट्टा बनाने हेतु पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नियमों में विहित राशि जमा करवाई। उसके पश्चात सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया। इसके पश्चात पंचायत द्वारा तीन पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, जिस पर मनोनीत पंचो द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की। पंचो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्ताव लिया जाकर विक्रय हेतु अस्थाई निर्णय लिया गया एवं एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। निर्धारित समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर सर्वसम्मति से अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, जो किसी भी रूप में श्मशान की भूमि नहीं है। मौके अनुसार श्मशान की भूमि की चारदीवारी हो रखी है तथा श्मशान एवं अप्रार्थी संख्या 1 की जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी पट्टासुदा भूमि के मध्य 6 दुकाने एवं विभिन्न भूखण्ड अवस्थित है। इस कारण प्रार्थी का यह कथन पूर्णतः निराधार है कि जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 199 की भूमि पर बना हो। प्रार्थी द्वारा द्वेषतावश निगरानी प्रस्तुत की है, जो सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सोजतरोड़ द्वारा मिसल संख्या 11/2006–2007, संकल्प संख्या 6 दिनांक 05.03.2013 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.03.2013 के विरूद्ध पेश की गई। ग्राम पंचायत की मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.04.2006 को अपने स्वामित्व स्थल का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर सचिव को उक्त भूमि का नक्शा प्रस्तुत करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने पर पंचायत की बैठक दिनांक 07.01.2013 को मिसल प्रस्तुत होने पर तीन वार्ड पंच श्रीमति सुमनदेवी व्यास, श्री हेमराज भाटोतरा एवं श्री गोपाल शर्मा को वांछित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। उक्त आदेश की पालना में वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की, जो रिपोर्ट मिसल के संलग्न है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 21.01.22013 को पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें पंचो की रिपोर्ट प्रस्तुत होने एवं मौके पर अप्रार्थी नन्दूसिंह का कब्जा होना बताया तथा कोरम द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने का अन्तिम निश्चय किया गया तथा एक मात्र का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 21.01.2013 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो रूबरू मौतबिर के चस्पा किया गया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 21.02.2013 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत होने पर नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दो बुजुर्गो के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में गवाह ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल लोहार निवासी सोजतरोड एवं गवाह हितश व्यास पुत्र प्रभूदयाल जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी सोजतरोड़ के बयान कलमबद्ध किये गये। तत्पश्चात पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.03.2013 को पारित करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी को पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा बन चुका है, जिसके कारण पंचायत दुबारा पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस पक्षकार द्वारा जो तथ्य उठाया जाता है, उसे साबित करने का भार/दायित्व उसी पक्षकार का होता है, जिसके द्वारा तथ्य को उठाया गया है। जिन रजिस्टर्ड दस्तावेज से उक्त भूमि क्रय की गई है, उसमें विक्रेता द्वारा यह अंकित किया गया है कि पूर्व में भूमि के पंजीबद्ध दस्तावेज एवं असल पट्टा क्रेता को सुपुर्द किया जा चुका है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी भूमि का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था। इस कारण दुबारा उक्त भूमि का पट्टा जारी किया जाना विधि विरूद्ध था। अब द्वितीय एवं मुख्य तथ्य, जिस पर यह निगरानी पूर्णतः आधारित है, वह यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि खसरा नम्बर 199 की है, जो श्मशान की भूमि होने के कारण ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था ? इस तथ्य को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु वकील प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 199 के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में सिलसिलेवार विचाराधीन होकर निर्णित हुए प्रकरणों का सहारा लिया, वहीं दूसरी ओर वकील अप्रार्थी ने इस भूमि को खसरा नम्बर 199 की होने बाबत तथ्य को सिरे से नकारा। हालांकि यह किसी भी स्तर पर प्रमाणित नहीं हुआ है कि जिस भूमि को प्रकरण में प्रश्नगत बनाया गया है, वास्तविक रूप से वह भूमि खसरा नम्बर 199 की हो। इस तथ्य के समुचित निर्धारण हेतु प्रार्थी को सक्षम विभाग से खसरा नम्बर 199 की भूमि का माप एवं सीमांकन करवाया जाना समीचीन था, जिससे यह सुस्पष्ट हो जाता कि वास्तविक रूप से जिस भूमि का पट्टा जारी किया जा रहा है, वह किस खसरा नम्बर में अवस्थित है। यह प्रमाणित तथ्य है कि बाल श्मशान की भूमि की चारदीवारी हो चुकी है तथा जैर निगरानी पट्टे की भूमि एवं बाल श्मशान गृह की भूमि के मध्य एक भूखण्ड, 7 दुकाने तथा कुछ रहवासी मकान अवस्थित है, जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध जैर निगरानी वादस्थ भूमि के फोटोग्राफ से होती है। वकील प्रार्थी द्वारा जिन निर्णयों का सहारा लिया गया, वे सम्माननीय अवश्य है, किन्तु उनसे यह किसी भी स्तर पर साबित नहीं होता है कि जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, वह खसरा नम्बर 199 की भूमि है। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खसरा नम्बर 199 की भूमि का सीमांकन करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैर निगरानी पट्टा अथवा अन्य संनिर्माण, जो पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ से दर्शित होते है, वे खसरा नम्बर 199 में समाहित होते है अथवा नहीं ? इस कारण तहसीलदार सोजत एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति सोजत को निर्देश दिये जाते है कि वे ग्राम सोजतरोड़ के खसरा नम्बर 199 के सीमांकन हेतु एक टीम का गठन करे, जो मुस्तकील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बिन्दुओं का आधार बनाते हुए खसरा नम्बर 199 की भूमि का सीमांकन कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि खसरा नम्बर 199 की भूमि में बाल शमशान के अतिरिक्त अन्य भूमि, जिस पर तथाकथित रूप से पट्टे बने हो, सम्मिलित है अथवा नही ? यदि खसरा नम्बर 199 की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे बने हो, तो उन पट्टो को अपास्त कराने हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करें। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है। इस कारण पश्चातवर्ती क्रम में जारी जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार जाती है तथा ग्राम पंचायत, सोजतरोड़ द्वारा मिसल संख्या 11/2006–2007, संकल्प संख्या 6 दिनांक 05.03.2013 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 05.03.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति सोजत, तहसीलदार सोजत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली